न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–84 / 2014 राजस्व वाद
श्री ज्ञानमल पिता गणेश खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

––––वादी

बनाम

1–श्री सुखा पिता भागीरथ जाट, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2–श्री गणेश पिता भागीरथ जाट, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3–छगनीबाई पुत्री नानूराम खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा
4–श्री गणपत पिता नानूराम खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा
5–भागूति पत्नि भूरालाल खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा
6–श्री सत्यनारायण पिता भूरालाल खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा
7–सुमित्रा पुत्री भूरालाल खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा
8–गीता पुत्री भूरालाल खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा
9–श्री चुन्नीलाल पिता गणेश खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा
10–स्तनी पत्नि सुरेश खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा (राज0)
11–मुकेश पिता सुरेश खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा (राज0)
12–मखन पिता सुरेश खटीक, उम्र नाबालिग जरिये माता रतनी पत्नि सुरेश खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
13–रमेश पिता गणेश खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा (राजस्थान)
14–देबीलाल पिता गणेश खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा (राज0)
15–नाथी पुत्री गणश खटीक, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी–भीलवाड़ा (राजस्थान)
16–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

–––––प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1–श्री विकास जायसवाल – एडवोकेट–वादीगण

:: नि र्ण य :: दिनांकः–27.12.2017

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 26.9.1964 को एक रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा छोगा पिता प्रताप जाट निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा से ग्राम हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा की साबिक आराजी नम्बर 231 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा भूमि नानू पिता कजोड़ एवं वादी के पिता गणेश

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

ही प्रस्तुत की हैं। ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का भी कब्जा काश्त भी नहीं हैं। फिर भीं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजियात दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 15 संयुक्त रूप से अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 15 गणेश के वारिसान होकर हिस्सेदार हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम हरणीकंला पटवार हल्का हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1835/412 रकबा 9 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 15 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 15 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम विलोपित किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो ।

(चिन्मयी गोपाल)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 27.12.2017 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

10 रतनी पत्नी सुरेश खटाक, आयु ......

Scanned by CamScanner